यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपजिलाधिकारी, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **उपजिलाधिकारी, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़** के माह **05/2012** से **02/2017** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं **श्री सूर्य पाल,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **21.03.2017** से **23.03.2017** तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की प्रथमलेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **तहसील गंगोलीहाट, पिथौरागढ़**

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	0	0	0	0	13529480	12454479	0	1075001
2013-14	0	0	0	0	14856000	14519979	0	336021
2014-15	0	0	0	0	16793000	16400944	0	392056
2015-16	0	0	0	0	21865000	17737912	0	4127088
2016-17 (02/2017 तक)	0	0	0	0	19913000	14539523	0	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन **<u>राज्य सरकार</u>** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी '**<u>सी</u>**' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त कुमाऊं मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में .... को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **<u>उपजिलाधिकारी, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़</u>** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2013, 03/2014, 03/2015 एवं 03/2016** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13, 14 व 16**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशि ₹ 91.38 लाख तथा संग्रह व्यय की धनराशि ₹ 09.14 लाख की वसूली का न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, गंगोलाहाट, पिथौरागढ़ के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक आर0सी0 की वसूलियां धनराशि ₹ 91.38 लाख तथा संग्रह व्यय की धनराशि ₹ 9.14 लाख अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि	आर.सी. की वसूल की गयी धनराशि पर संग्रह व्यय की अवशेष धनराशि
2012-13 तक	83000	8300
2013-14 तक	245000	24500
2014-15 तक	25000	2500
2015-16 तक	503000	50300
2016-17 तक	**9138000**	**913800**

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि वसूली का कार्य प्रगति पर है, वसूली पूर्ण कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद ही आर0सी0 की धनराशि वसूल कर ली जानी चाहिए।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-2 ₹ 756.53 लाख के बजट व्यय के लिए रोकड़बही न बनाया जाना।

Central Government Account (Receipts and Payments) Rules-1983 के नियम संख्या 13 (1 से 5) में उल्लेखित वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भी कार्यालय एवं संस्था को कार्यालयी प्राप्त बजट एवं व्यय के संव्यवहार का रखरखाव रोकड़बही में किया जाना चाहिए जिसके संव्यवहारों का मासिक सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 (02/2017 तक) के वेतन भत्तों, 11-सी पंजिका तथा बजट संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 05/2012 से 02/2017 बजट का आबंटन एवं व्यय किया गया-

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2012-13	-	-	13529480	12454479
2013-14	-	-	14856000	14519979
2014-15	-	-	16793000	16400944
2015-16	-	-	21865000	17737912
2016-17 (02/2017 तक)	-	-	19913000	14539523
योग				**75652837**

अग्रेतर रोकड़बही हेतु जांच में वर्ष 2012-13 से 2016-17 (02/2017 तक) कुल **₹75652837** के व्यय हेतु रोकड़बही नहीं बनाया गया, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कैशबुक का रखरखाव कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी कार्यालय/संस्था द्वारा कार्यालयी बजट एवं संव्यवहारों का रखरखाव रोकड़बही में न किया जाना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-3 ₹ 41.36 लाख के वितरण में प्रक्रिया के पालन न करना।

दैवीय आपदा के अन्तर्गत पूर्ण/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवनों के लिए तैयार किये गये तत्सम्बन्धित पी-20 में भवन की फोटोग्राफ अवश्य रुप से लगी होनी चाहिए तथा पंजिका में प्राप्तकर्ता के व कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए।

संबन्धित पंजिका की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 तक पूर्ण क्षतिग्रस्त/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवनों के लिए धनराशि वितरण के पूर्व संबन्धित पी-20 के साथ भवन के फोटोग्राफ संलग्न नहीं पाये गये हैं।

विवरण निम्न है-

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	मद (गृह निर्माण)	वितरित की गयी धनराशि (₹ लाख में)
2015-16	08	पूर्ण/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त	3.36
2016-17	19	पूर्ण/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त	38.00
योग		**-**	**41.36**

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया कि संबन्धित फोटोग्राफ जिला मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पी-20 तहसील से संबन्धित अभिलेख होते हैं, इनका रखरखाव तहसील में ही होना चाहिए।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **उपजिलाधिकारी, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- 1.** संग्रह व नजारत अनुभाग की सेवा-पुस्तिकाएं तथा सामान्य भविष्य निधि पासबुक। **2.** अप्रस्तुत बाउचरः- माह 12/2013 एवं 03/2014 के व्यय संबंधी वाउचर्स कार्यालय में उपलब्ध नहीं पाये गए हैं। विवरण निम्न है:-

दिनांक	वाउचर संख्या	धनराशि (₹ में)
14.03.2013	B20290010	2000
14.03.2013	B20290011	1249
15.03.2013	B20290019	5000
15.03.2013	B20290028	9800
15.03.2013	B20290029	4500
15.03.2013	B20290031	1337
15.03.2013	B20290038	2193
15.03.2013	B20290039	2075
15.03.2013	B20530028	1757
15.03.2013	B20530029	1507
15.03.2013	B20530030	1927
15.03.2013	B20530031	330
18.03.2013	B20290043	2000
19.03.2013	B20290051	6920
31.03.2013	B20290075	53596
31.03.2013	B20290076	20318
31.03.2013	B20290077	1011
04.03.2014	B20530001	2100

07.03.2014	B20530009	5300
07.03.2014	B20530010	5400
22.03.2014	B20530075	3438
25.03.2014	B20530083	1757
27.03.2014	B20530109	49343
27.03.2014	B20530111	10250
27.03.2014	B20530114	11924
27.03.2014	B20530123	10956
28.03.2014	B20290078	3800
28.03.2014	B20290080	1800
28.03.2014	B20290082	3996
28.03.2014	B20290084	2080
28.03.2014	B20290086	1140
28.03.2014	B20290087	4600
28.03.2014	B20290088	1400
28.03.2014	B20290091	10978
28.03.2014	B20290093	4330
28.03.2014	B20290095	39011
28.03.2014	B20290097	4000
28.03.2014	B20290099	3980
28.03.2014	B20290101	5000
28.03.2014	B20290103	1680
28.03.2014	B20290104	5800
28.03.2014	B20290105	4461
28.03.2014	B20290106	4826
28.03.2014	B20290108	4500
28.03.2014	B20290110	3150
28.03.2014	B20290112	1980
28.03.2014	B20290114	1820
28.03.2014	B20530133	18320

28.03.2014	B20530135	5000
28.03.2014	B20530137	3217
28.03.2014	B20530139	922
28.03.2014	B20530141	3207
योग		**362986**

2. **सतत् अनियमितताएः** **<u>शून्य</u>**
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः**

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम**	**पदनाम**	**कार्यरत समय अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1.	श्री पी0एस0 दुमका	उपजिलाधिकारी	15.10.2010	05.07.2012
2.	श्री प्रत्यूष सिंह	उपजिलाधिकारी	06.07.2012	28.07.2012
3.	श्री अनुराग आर्या	उपजिलाधिकारी	14.08.2012	20.10.2014
4.	श्री त्रिलोक सिंह मर्तोलिया	उपजिलाधिकारी	21.10.2014	23.02.2015
5.	श्री प्रमोद कुमार	उपजिलाधिकारी	23.02.2015	12.01.2016
6.	श्री वैभव गुप्ता	उपजिलाधिकारी	13.10.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **<u>कार्यालय उपजिलाधिकारी, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़</u>** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र